



दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)64/P/FMA


प्रधान कार्यालय/Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/ Chennai - 600 003
दि./ Dated: 20-12-2013

पी बी सी सं/ PBC No. 161 / 2013

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /
DPOs/SPOs/WPOs /APOs of HQ /Divisions /Wokshops /other Units, etc., etc.,
(As per mailing list -'A')

Sub: Railway medical Facilities to the Railway employees during
deputation - Amendment in Rule-625 of IRMM-2000 and
corresponding Rule 602, Para-1 (Sub Section-19) of IREC,
Vol.-1.

A copy of Railway Board's letter No. 2013/H-1/2/6/Misc. dated
27-11-2013 on the above subject is enclosed for information, guidance and
necessary action.


(V. SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy/ AIOBCREA

The Genl Secy/NFIR

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. 2013/H-1/2/6/Misc.

New Delhi, dated 27.11.2013

The General Managers,
All Indian Railways/PUs,
Director General, R.D.S.O. &
CAO(R), D.M.W., Patiala.



Sub: Railway medical Facilities to the Railway employees during deputation - Amendment in Rule-625 of IRMM-2000 and corresponding Rule 602, Para-1 (Sub Section-19) of IREC, Vol-1.

1. The matter regarding allowing the Railway Medical Facilities to the Railway employees while on deputation to other Government Departments/Corporations/Undertakings has been considered and it has now been decided to substitute the existing provision under Rule-625 of IRMM-2000 and under Rule-602, Para-1 (Sub Section-19) of IREC, Vol.-1 with the following provision:

"Railway employees on deputation in India : Railway employees sent on deputation to other Government Departments/Corporations/Undertakings may be governed by the medical attendance rules of the borrowing Departments/Corporations/Undertakings. The borrowing organization may, however, allow the Railway employees, at his/her option, to enjoy Railway Medical facilities, provided a contribution to Railway revenues is made by the borrowing Corporations/Undertakings at the rates of recovery prescribed from time to time for Government employees of his/her status under the Central Government Health Scheme (CGHS). However, in the case of borrowing Central and State Government departments, no such contribution is required to be paid and the employee will enjoy the Railway Medical Facilities free of cost as during Railway service."

2. The contribution for availing Railway Medical Facilities as per the revised provision shall be regulated prospectively from the date of issue of this letter in respect of all those who are presently on deputation or others proceeding on deputation.

3. This issues with the concurrence of Establishment and Finance Directorates of Board's Office. Accordingly, an Advance Correction Slip enclosed as Annexure-1.


(Dr.S.K.Sabharwal)
Executive Director Health (G)
Railway Board

ANNEXURE-1

S.No.-5 Health 2013

Advance Correction Slip to IRMM and IREC(Vol-1)

The existing provision of under Rule-625 of IRMM-2000 and under Rule-602, Para-1 (Sub Section-19) of IREC, Vol.-1 may be substituted with the following provision:

“Railway employees on deputation in India : Railway employees sent on deputation to other Government Departments/Corporations/Undertakings may be governed by the medical attendance rules of the borrowing Departments/Corporations/Undertakings. The borrowing organization may, however, allow the Railway employees, at his/her option, to enjoy Railway Medical facilities, provided a contribution to Railway revenues is made by the borrowing Corporations/Undertakings at the rates of recovery prescribed from time to time for Government employees of his/her status under the Central Government Health Scheme (CGHS). However, in the case of borrowing Central and State Government departments, no such contribution is required to be paid and the employee will enjoy the Railway Medical Facilities free of cost as during Railway service.”

(Authority: Baord’s letter No. 2013/H-1/2/6/Misc. dated 27.11.2013)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27.11.2013

सं. 2013/एच-1/2/6/मिस.

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें एवं

उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक, अजमासं और

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),

डीआका, पटियाला.

विषय: रेल कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के दौरान रेल चिकित्सा सुविधाएं- भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के नियम-625 और भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1 के समनुरूपी नियम 602, पैरा-1 (उप खंड-19) में संशोधन.

1. रेल कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों /निगमों /उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के दौरान रेल चिकित्सा सुविधाओं की अनुमति देने से संबंधित मामले पर विचार किया गया है और अब यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के नियम-625 और भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1 के समनुरूपी नियम 602, पैरा-1 (उप खंड-19) के अंतर्गत मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाए.

"भारत में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रेल कर्मचारी: अन्य सरकारी विभागों/निगमों/ उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए रेल कर्मचारी उधारकर्त्ता विभागों /निगमों/उपक्रमों के चिकित्सा परिचर्या नियमों से शासित हो सकते हैं. लेकिन उधारकर्त्ता संगठन ऐसे रेल कर्मचारी को उसके विकल्प पर रेलवे चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि उधारकर्त्ता निगम/ उपक्रम द्वारा रेलवे राजस्व में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उसके ओहदे के सरकारी कर्मचारी के लिए समय-समय पर निर्धारित वसूली की दरों पर अंशदान किया जाए. बहरहाल उधारकर्त्ता केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों के मामलों में, ऐसे अंशदान का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है और कर्मचारी रेल सेवा के दौरान निःशुल्क रेल चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठायेगा."

2. संशोधित प्रावधान के अनुसार रेलवे चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अंशदान उन सभी कर्मचारियों जो इस समय प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा ऐसे अन्य कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर जा

रहे हैं के संबंध में इस पत्र के जारी होने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से विनियमित किया जायेगा.

3. इसे बोर्ड कार्यालय के स्थापना और वित्त निदेशालयों की सहमति से जारी किया जा रहा है. तदनुसार अग्रिम शुद्धि पर्ची अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है.



(डॉ. एस.के.सभरवाल)

कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य(सा.)

रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, और भारतीय रेल स्थापना संहिता (जिल्द-1) के लिए अग्रिम शुद्धि पृथी

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के नियम-625 और भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1 के समनुरूपी नियम 602, पैरा-1 (उप खंड-19) के अंतर्गत मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाए:-

"भारत में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रेल कर्मचारी: अन्य सरकारी विभागों/निगमों/ उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए रेल कर्मचारी उधारकर्त्ता विभागों /निगमों/उपक्रमों के चिकित्सा परिचर्या नियमों से शासित हो सकते हैं. लेकिन उधारकर्त्ता संगठन ऐसे रेल कर्मचारी को उसके विकल्प पर रेलवे चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि उधारकर्त्ता निगम/ उपक्रम द्वारा रेलवे राजस्व में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उसके ओहदे के सरकारी कर्मचारी के लिए समय-समय पर निर्धारित वसूली की दरों पर अंशदान किया जाए. बहरहाल उधारकर्त्ता केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों के मामलों में, ऐसे अंशदान का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है और कर्मचारी रेल सेवा के दौरान निःशुल्क रेल चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठायेगा."

(प्राधिकार: बोर्ड का 27.11.2013 का पत्र सं. 2013/एच-1/2/6/मिस.)